विशेष संदेशवाहक/ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-11001

सं. **24**/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी/ईआरएस/**2016**-खंड ।। दिनांकः- 27 अक्तूबर, **2016**

सेवा में,

1. संयुक्त सचिव **(**स्था./पी जी**)** एवं सी वी ओ
   रक्षा मंत्रालय
   साउथ ब्लाक,
   नई दिल्ली।
2. संयुक्त सचिव, भारत सरकार
   गृह मंत्रालय,
   नार्थ ब्लाक,
   नई दिल्ली।
3. संयुक्त सचिव **(**प्रशासन**)**
   विदेश मंत्रालय,
   साउथ ब्लाक,
   नई दिल्ली-**110011**
4. निदेशक
   सीमा सड़क महानिदेशालय,
   सीमा सड़क भवन,
   रिंग रोड़, दिल्ली छावनी,
   नई दिल्ली-**110010**

विषयः **01.01.2017** की अर्हक तिथि के संदर्भ में **सेवा मतदाताओं** से सम्बंधित निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयोग ने **01 जनवरी, 2017** की अर्हक तिथि के संदर्भ में, सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में **निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग का सार पुनरीक्षण** करने का निर्णय लिया है।

2. **1** जनवरी, **2016** की अर्हक तिथि के संदर्भ में सार पुनरीक्षण के बाद 30 जनवरी, **2016** को अंतिम रुप से प्रकाशित नामावली में पिछले सभी वर्षो की अनुपूरक नामावलियां एकीकृत की गई हैं। निर्वाचक नामावलियों का मौजूदा अंतिम भाग सबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइट पर उपलब्ध है **(**सीईओ की वेबसाइट के लिंक आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in पर उपलब्ध हैं**)**। वर्तमान पुनरीक्षण का आदेश ऐसे अन्य सभी पात्र सेवा मतदाताओं का नाम नामावली में दर्ज करने के लिए दिया जा रहा है जो **01.01.2017** को **18** वर्ष या इससे अधिक के होंगे और जो बारम्बार तैनातियों या किसी अन्य कारण की वजह से विगत वर्षों में ऐसे पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं कर सके थे या जो लोग अपनी पूर्ववर्ती घोषणाओं में बदलाव करने की इच्छा रखते हैं। यह भी अनुरोध किया जाता है कि नामावलियां पूरी तरह त्रुटिमुक्त बनाई जाएं, यह कि ऐसे व्यक्तियों की सूची सम्बन्धित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध कराई जाए जो मृत्यु, सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण या किन्हीं कारणों की वजह से सेवा मतदाता के रुप में पंजीकरण के लिए पात्र न रह गए हों। इसके तद्रन्तर मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियत प्रक्रिया का अनुपालन करने के उपरांत संबंधित ईआरओ से ऐसे नामों को हटवाएंगे।

पात्र सेवा कार्मिक

3. प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1950** की धारा **20** की उप-धारा **(8)** के अंतर्गत "सेवा अर्हता" वाली निम्नलिखित श्रेणियों के प्रत्येक व्यक्ति के नाम दर्ज होते हैं-

(क) संघ के सशस्त्र बलों के एक सदस्य होने के नाते; या

(ख) ऐसे बल का एक सदस्य होने के नाते जिस पर सेना अधिनियम; **1950 (1950** का **46)** के उपबंध, संशोधन सहित या उसके बिना, लागू किए गए हैं,

(ग) किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के एक सदस्य होने, और उस राज्य से बाहर सेवा करने के नाते; या

(घ) एक ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर के किसी पद पर तैनात हों।

4. ऊपर उल्लिखित चार में से किसी एक श्रेणी के सेवा मतदाता की पत्नी, जो साधारणतया उनके साथ निवास करती हों, भी अपने पति के साथ एक निर्वाचक के रुप में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में पंजीकृत होने के लिए पात्र हैं।

5. निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में एक निर्वाचक के रुप में पंजीयन के प्रयोजन से ऊपर उल्लिखित सेवा अर्हता वाले प्रत्येक व्यक्ति को विहित सांविधिक फार्म **2, 2**क या **3** (निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, **1960** के साथ संलग्न), जो भी लागू हो, उसमें मांगे गए पूर्ण विवरणों का उसमें उल्लेख करते हुए, में आवेदन करना होगा। तत्काल संदर्भ के लिए उक्त फार्मों में से प्रत्येक की एक प्रति सलंग्न है। ये फार्म आयोग की वेबसाइट http://eci.nic.in पर शीर्षक "ई-नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए फार्म" के अंतर्गत भी उपलब्ध हैं। सेवा अर्हता वाले प्रत्येक व्यक्ति को विधिवत रुप से भरे हुए उक्त फार्म की **<u>दो प्रतियां</u>** संबंधित रिकार्ड कार्यालय या प्राधिकारियों को प्रस्तुत करनी हैं।

6. सेवा अर्हता वाले ऐसे व्यक्ति **(**उनसे इतर जो भारत सरकार के अधीन भारत से बाहर किसी पद पर कार्यरत हैं**)** और जो एक ऐसे स्थान पर तैनात हैं जो उनके सामान्य निवास का वास्तविक स्थान है और जो अधिनियम की धारा **20(3)** के अंतर्गत विधिक कल्पित अधिवास का स्वयं लाभ उठाने की इच्छा नहीं रखते हैं और वे पीस स्टेशन में सेवारत/तैनात हैं, को उस विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंधित भाग/मतदान केंद्र में सामान्य निर्वाचकों के रुप में अपने आपको पंजीकृत करवाने का विकल्प है जिसमें उनके निवास का वास्तविक स्थान शामिल है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट अग्रिम चौकियों की तैनातियों के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

7. सामान्य रुप से निवासी होने और पीस स्टेशन में सेवारत/तैनात होने के नाते निवास के वास्तविक स्थान पर निर्वाचक नामावली के सामान्य भाग में एक निर्वाचक के रुप में पंजीयन के प्रयोजनार्थ व्यक्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, **1960** से संलग्न फार्म-**6** में आवेदन दाखिल करके अपने आपको सामान्य निर्वाचकों के रुप में पंजीकृत करवा सकते हैं न कि सेवा निर्वाचकों के रुप में।

अंतिम भाग में पंजीकरण के लिए आवेदन कैसे करें

8. चूंकि, आदेशित पुनरीक्षण अंतिम भाग का संक्षिप्त पुनरीक्षण है इसलिए प्रत्येक पात्र सेवा मतदाता या कोई जो अपनी पूर्व की घोषणा बदलना चाहता है/चाहती है को अपना कथन निर्धारित फार्म **2, 2**क, या **3**, यथामामला, में प्रस्तुत करना होता है। यदि ऐसा कोई सेवा मतदाता उपरोक्त कथन जमा कराने में असफल रहता है/रहती है तो उसका नाम अंतिम हिस्से में नहीं जोड़ा जाएगा। अतः, रिकार्ड कार्यालय/संबंधित प्राधिकारियों को उन सभी <u>सेवा मतदाताओं</u> से, जो **01.01.2017** को **18** वर्ष या इससे अधिक की आयु के होंगे परंतु उनके नाम पहले ही सेवा मतदाता के रुप में पंजीकृत नहीं हैं या वे जो अपनी विद्यमान घोषणा को बदलना चाहते हैं निर्धारित प्रपत्रों में कथन प्राप्त करने का निदेश दिया जाए।

<u>भारत से बाहर भारत सरकार के अधीन नियुक्त के अलावा,</u> सभी सेवा मतदाताओं द्वारा कथन के साथ "घोषणा" का प्रस्तुतीकरण।

9. फार्म **2, 2**क, यथामामला में कथन भरने के उपरान्त, सेवा मतदाताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे **"घोषणा"** जिसका नमूना इस पत्र के साथ संलग्न है, को भरें और उस पर हस्ताक्षर करें। जब कोई सेवा मतदाता, फार्म **2, 2**क, यथामामला, भरता है तो उसे, उक्त फार्म में उसके द्वारा दिए गए पते पर उसके निर्वाचन क्षेत्र की

अवस्थिति की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत कर लिया जाता है। यदि पुरुष सेवा मतदाता घोषणा करता है कि उसकी पत्नी भी उसकी सेवा तैनाती वाले स्थान पर उसके साथ रहती है तो उसे भी उनके पति के साथ अंतिम भाग में पंजीकृत कर लिया जाता है। तथापि, महिला सेवा मतदाताओं के पति विधि के अधीन इस सुविधा का लाभ उठाने के पात्र नहीं हैं।

10. तथापि, यदि कोई सेवा मतदाता अपने मूल स्थान में पंजीकरण की उपरोक्त सुविधा नहीं चाहता/चाहती है तो वह स्वयं को घर-घर गणना के समय या निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, **1960** के साथ संलग्न फार्म **6** में आवेदन भर कर अपनी सेवा/नियुक्ति के स्थान पर अपने निवास के वास्तविक स्थान में एक सामान्य निर्वाचक के तौर पर पंजीकृत करवा सकता है/सकती है।

11. **विधि के अधीन, किसी भी व्यक्ति को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचक के रूप में पंजीकरण नहीं कराना चाहिए।** ऐसा कोई भी पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, **1950** की धारा **31** के अधीन दंडनीय है। इसलिए, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास सेवा अर्हता है और जो, यथा मामला, सेवा निर्वाचक के रूप में पंजीकरण के लिए फार्म **2**, **2**क में आवेदन कर रहा है, सलंग्न फार्मेट में घोषणापत्र देगा कि उसने किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में साधारण निर्वाचक के रूप में पंजीकरण नहीं करवाया है।

रिकार्ड कार्यालयों/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन

12. प्रत्येक रिकॉर्ड कार्यालय के प्रभारी अधिकारी प्रत्येक सेवा निर्वाचक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जमा कराए गए विवरणों की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विवरण में दिए गए सभी ब्योरे पूर्ण और यथातथ्य हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि सेवा मतदाता ने अपने जिले के विवरण सहित अपने गृह नगर/गांव के संबंध में ब्योरे सहित अपने पूरे पते का उल्लेख किया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सेवा निर्वाचकों ने फार्म **2** या **2**क, यथामामला, में अपने विवरणों के साथ निर्धारित घोषणापत्र भी जमा करा दिया है। **घोषणापत्र को डुप्लीकेट प्रतियों में होना आवश्यक नहीं है।**

13. डुप्लीकेट प्रतियों में जमा कराए गए फार्म के सावधानीपूर्वक सत्यापन के पश्चात, रिकार्ड अधिकारी को फार्म में उपलब्ध कराए गए सत्यापन प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहिए। पूर्ण रूप से भरे गए ये फार्म (डुप्लीकेट में) जिनके साथ घोषणापत्र भी संलग्न हो, संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी, जो कि जिले का मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त/जिला कलेक्टर/जिला अधिकारी होता है (प्रत्येक राज्य में जिस किसी भी पदनाम से जाना जाए) को अग्रेषित किए जाने चाहिएं। फार्म और घोषणापत्र अग्रेषित करते समय अग्रेषित किए जाने वाले कथनों के विवरण दर्शाने वाली अग्रेषण सूची भी संलग्न की जानी चाहिए।

14. रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को निदेश दिए जाने चाहिएं कि फार्म और घोषणापत्र **भारत निवार्चन आयोग को, दोहराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं भेजे जाने चाहिएं।** जहां, सेवा मतदाता द्वारा भरे गए पते से संबंधित जिले के नाम का पता लगाना संभव नहीं हो, फार्म को संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है। सुलभ संदर्भ के लिए सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के पतों वाली सूची संलग्न है।

15. ऐसा देखा गया है कि बहुधा रिकार्ड कार्यालयों के पास अधूरे पते होने के कारण निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को पावतियों/निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भाग के उद्धरणों को वापस भेजने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अत: रिकार्ड कार्यालयों को निदेश दिए जाएं कि वे पूरी तरह से भरे हुए फार्मों को भेजते हुए, एपीओ संख्या/पिन कोड सहित, यथामामला, पूरा डाक पता भेजें ताकि पावती/नामावली के अंतिम हिस्से के उद्धरण या अन्य कोई पत्र-व्यवहार शीघ्रता से उचित गंतव्य स्थल तक पहुंच सके।

16. इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकरण को डाक मतपत्र भेजता है जो इसे आगे सेवा मतदाता को उसके वर्तमान तैनाती स्थल पर भेजता है, तथापि, प्रस्तावित प्रक्रिया में, डाक मतपत्र को सीधे ही सेवा मतदाता की यूनिट में भेजा जाएगा और इसे प्रयोजनार्थ सेवा मतदाता की सेवा यूनिट का पता/सेवा यूनिट कोड संख्या अपेक्षित होगा। चूंकि, विद्यमान फॉर्म 2, 2क और 3 में सेवा निर्वाचक का सेवा यूनिट पता/सेवा यूनिट कोड संख्या प्राप्त करने के लिए कोई कॉलम नहीं है,

अत: अंतिम भाग में ऐसी सूचना नहीं होती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया जा रहा है कि वे अंतिम प्रकाशन के पश्चात सेवा निर्वाचकों को पृथक करके राज्य में सेवा निर्वाचकों की सूची को सेवा मुख्यालयों में भेजें ताकि उनसे सूचना प्राप्त की जा सके। आपसे अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, जब भी उनके द्वारा अनुरोध किया जाए, आवश्यक निदेश जारी करें।

17. **01.01.2017** अर्हक तिथि के संदर्भ में निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का संक्षिप्त पुनरीक्षण निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगाः-

क्रम सं.	संक्षिप्त पुनरीक्षण के चरण	दिनांक
1.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी घोषणाओं सहित दो प्रतियों में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म **2, 2**क, **3** जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे	**16** नवम्बर, **2016** (बुधवार) तक
2.	रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों से **26** नवम्बर, 2016 तक प्राप्त फॉर्मों के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त अनुपूरक तैयार करना	**28** नवम्बर **2016** (सोमवार) तक
3.	निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के मसौदों की तैयारी और उनमें से उद्धरणों को **(**संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में**)** रिकॉर्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उनके सत्यापन के लिए भेजना।	**5** दिसम्बर, **2016** (सोमवार) तक
4.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी, सत्यापन के उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एक प्रति लौटाएंगे।	**28** दिसम्बर, **2016** तक
5.	सत्यापन के उपरान्त वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित ईआरओ द्वारा त्रुटियों का निराकरण	**5** जनवरी, **2017** (गुरूवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन	**10** जनवरी, **2017** (मंगलवार) तक

18. रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उपरोक्त सभी सेवा मतदाताओं से फार्मों और घोषणापत्रों को प्राप्त करना चाहिए और उचित सत्यापन के पश्चात उन्हें यथाशीघ्र ऊपर उल्लिखित निर्वाचन प्राधिकारियों को **सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के संबंध में यह किसी भी हालत में 16 नवम्बर, 2016 तक अग्रेषित कर देना चाहिए।**

19. केवल उन्हीं सेवा मतदाताओं के नाम जिनके कथन मुख्य निर्वाचन अधिकारियों/जिला निर्वाचन अधिकारियों, यथामामला, के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा निर्धारित तारीख से पहले उचित समय पर प्राप्त किए जाते हैं, का नाम नामावलियों के अंतिम भाग में शामिल किया जाएगा। **01.01.2017 (**जैसे दिनांक **30** जनवरी, 2016 को मदर रोल का अंतिम प्रकाशन+ अंतिम प्रकाशन के बाद अनुपूरक, यदि कोई हो, + रिकार्ड अधिकारियों/प्राधिकारियों से दिनांक **26** नवम्बर, 2016 तक प्राप्त फार्मों के अतिरिक्त अनुपूरक के आधार पर**)** के संदर्भ में इस प्रकार से तैयारी की गई निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग ड्राफ्ट को **5 दिसम्बर, 2016** तक मुद्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से रिकार्ड अधिकारियों से या सीधे रिकार्ड अधिकारियों/ प्राधिकारियों से केवल दिनांक **26** नवम्बर, 2016 तक प्राप्त फार्मों को निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के ड्राफ्ट के अनुपूरक को तैयार करने के लिए शामिल किया जाएगा क्योंकि फार्मों का निपटान करने, ड्राफ्ट को तैयार करने और संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इसके मुद्रण के लिए कम से कम **5** दिन अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, ड्राफ्ट का उद्धरण **(**कार्यालय

वार/ प्राधिकरण वार) **(डुप्लिकेट में)** संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकरणों से सत्यापन करवाने के लिए संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दिनांक **5 दिसम्बर, 2016** तक भेज दिए जाएं।

20. दिनांक **05** जनवरी, **2017** तक रिकॉर्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों से सत्यापन के उपरान्त वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा, यदि कोई त्रुटियां हैं तो उनका निराकरण करने के पश्चात, निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग का अंतिम प्रकाशन **10** जनवरी, **2017** को किया जाएगा।

21. सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में **26** नवम्बर, **2016** के पश्चात निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा प्राप्त किए गए सेवा मतदाताओं के फार्मों को अनवरत अद्यतन की प्रक्रिया के रूप में **31 जुलाई, 2017** को लाए जाने वाले दूसरे अनुपूरक में शामिल किया जाएगा।

22. निर्वाचक नामावली का अंतिम भाग निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में तैयार किया जाता है। अनुवर्ती उद्धरण की सुविधा हेतु इस भाग में नामों को रिकार्ड कार्यालयों के अनुसार व्यवस्थित किया जाएगा। नामों को इस प्रकार रिकार्ड-कार्यालयवार वर्गीकृत कर लेने के पश्चात और सूचियों की प्रविष्टि कर लेने के पश्चात निर्वाचकों के कथनों के अंत में अधपन्नों को पूरा कर लिया जाएगा और इस प्रकार से पूर्ण किए गए प्रत्येक विवरण की एक प्रति को तत्काल संबंधित रिकॉर्ड कार्यालय को वापस कर दिया जाएगा। इन विवरणों को प्रत्येक राज्य के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार व्यवस्थित करके रिकॉर्ड कार्यालय में रखा जाएगा ताकि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा भावी संदर्भों पर आसानी से कार्रवाई की जा सके। कथन की दूसरी प्रति को भी निर्वाचन-क्षेत्रवार व्यवस्थित किया जाएगा और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में फाइल में रखा जाएगा।

23. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रत्येक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी के संबंध में निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग से पहले अनुपूरक के बारे में निर्वाचक नामावली से उद्धरण संबंधित रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकरण को अधिकतम **28 फरवरी, 2017** तक अग्रेषित करेंगे तथा, जहां कहीं आवश्यकता हो दूसरे अनुपूरक के संबंध में **31 जुलाई, 2017** तक अग्रेषित करेंगे।

24. इस संबंध में जारी किए गए अनुदेशों की प्रति कृपया आयोग को इसके रिकॉर्ड हेतु पृष्ठांकित की जाए।

कृपया पावती दें।

भवदीय,

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 24/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी/ईआरएस/2016-खंड II   **दिनांकः- 27 अक्तूबर, 2016**

आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि अग्रेषितः-

1. निदेशक (एजी), सेना भवन, नई दिल्ली-110 011
2. निदेशक पीएस - 2, अतिरिक्त महानिदेशालय, कार्मिक सेवाएं एड्जुटेंट जनरल शाखा, कमरा सं. 432, ए-विंग, सेना भवन, सेना मुख्यालय, नई दिल्ली-110 001
3. उप निदेशक, नौ-सेना मुख्यालय, कमरा सं. 201, 'ग' विंग, एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय (नौसेना), डी एच क्यू, डाक, नई दिल्ली-110 011
4. संयुक्त निदेशक पी एस (कल्याण), वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली
5. निदेशक, महानिदेशालय, सीमा सुरक्षा बल, (स्टाफ अनुभाग) ब्लॉक सं. 10, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय रिकार्ड कार्यालय, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, गृह मंत्रालय, पूर्वी ब्लॉक-IX ए, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-66
7. असम राइफल्स, महानिदेशालय असम राइफल्स (रिकार्ड शाखा) शिलांग-793 011
8. महानिरीक्षक (प्रशासन) राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (मुख्यालय), मेहराम नगर, देशीय हवाई अड्डे के निकट, नई दिल्ली-110 037
9. महानिदेशालय, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, ब्लॉक सं. 1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 003
10. महा निरीक्षक, मुख्यालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, ब्लॉक सं. 13, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
11. उप महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल, पूर्वी ब्लॉक-5, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110 006
12. महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक बल, तटरक्षक मुख्यालय, नेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110 001

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

स्पीड पोस्ट द्वारा

सं. 24/पत्र/ईसीआई/प्रकार्या./ईआरडी/ईआरएस/2016-खंड II   **दिनांकः- 27 अक्तूबर, 2016**

सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रति अग्रेषित।

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली का अंतिम भाग, दी गई अनुसूची के अनुसार **01.01.2017** के संदर्भ में अर्हक तिथि के रुप में संक्षिप्त रुप से पुनरीक्षित की जाएगी।

क्रम. स.	संक्षिप्त पुनरीक्षण के चरण	दिनांक
1.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी घोषणाओं सहित दो प्रतियों में विधिवत रूप से सत्यापित फार्म **2, 2**क, **3** जिला निर्वाचन अधिकारियों/मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करेंगे	**16** नवम्बर, **2016** (बुधवार) तक
2.	रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों से **26** नवम्बर, 2016 तक प्राप्त फॉर्मों के आधार पर संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त अनुपूरक तैयार करना	**28** नवम्बर **2016** (सोमवार) तक
3.	निर्वाचक नामावली के अंतिम भागों के मसौदों की तैयारी और उनमें से उद्धरणों को (संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा दो प्रतियों में) रिकॉर्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उनके सत्यापन के लिए भेजना।	**5** दिसम्बर, **2016** (सोमवार) तक
4.	जिस तारीख तक रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकारी, सत्यापन के उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को एक प्रति लौटाएंगे।	**28** दिसम्बर, **2016** तक
5.	सत्यापन के उपरान्त वापिस मिले उद्धरणों के आधार पर संबंधित ईआरओ द्वारा त्रुटियों का निराकरण	**5** जनवरी, **2017** (गुरूवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों के अंतिम भागों का अंतिम प्रकाशन	**10** जनवरी, **2017** (मंगलवार) तक

अब यह महत्वपूर्ण है कि सेवा मतदाताओं द्वारा दिए गए प्रत्येक कथन का विवरण अच्छी तरह से रखा जाए तथा संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को उचित समय पर उद्धरण वापिस भेजे जाएं। वर्ष **2004** से अंतिम भाग के दो पूरक हैं। **17** जनवरी, **2017** को प्रथम अनुपूरक के मुद्रण के लिए **26** नवम्बर, 2016 तक फार्म **2, 2**क तथा **3** में प्राप्त विवरणों को प्रथम पूरक में शामिल किया जाना चाहिए तथा **26** नवम्बर, 2016 के पश्चात प्राप्त फार्मों को **31** जुलाई, **2017** को प्रकाशित किए जाने वाले दूसरे अनुपूरक में। चूंकि रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को संक्षिप्त पुनरीक्षण **2015** के अनुपूरक और निर्वाचक नामावली के सम्पूर्ण समेकित अंतिम भाग की आपूर्ति पहले ही कर दी गई है, अतः निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग के वर्तमान पुनरीक्षण के दौरान तैयार किए गए अंतिम भाग के केवल अनुपूरकों की ही सत्यापन के लिए संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को आपूर्ति की जानी है।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को सख्त अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे नामावली के अंतिम भाग के उद्धरणों सहित अनुपूरक में समाविष्ट विवरणों के अधपन्ने संबंधित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को यथाशीघ्र वापिस कर दें।

अतः संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऊपर उल्लिखित अनुदेश के अनुपालन के बारे में, अर्थात् फार्मों के अधपन्ने में भरने तथा निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में से अनुपूरकों के उद्धरणों को प्रस्तुत करने के पश्चात फार्म **2, 2**क या **3** की एक प्रति सम्बन्धित रिकार्ड कार्यालयों/प्राधिकारियों को वर्ष में दो बार भेजे जाने के बारे में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने चाहिएं। इसके उपरान्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा इस संबंध में, आयोग को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी रिकार्ड कार्यालय/प्राधिकरण को डाक मतपत्र भेजता है जो इसे आगे सेवा मतदाता को उसके वर्तमान तैनाती स्थल पर भेजता है, तथापि, प्रस्तावित प्रक्रिया में, डाक मतपत्र को सीधे ही सेवा मतदाता की यूनिट में भेजा जाएगा और इसे प्रयोजनार्थ सेवा मतदाता की सेवा यूनिट का पता/सेवा

यूनिट कोड संख्या अपेक्षित होगा। चूंकि, विद्यमान फॉर्म **2**, 2क और **3** में सेवा निर्वाचक का सेवा यूनिट पता/सेवा यूनिट कोड संख्या प्राप्त करने के लिए कोई कॉलम नहीं है, अतः अंतिम भाग में ऐसी सूचना नहीं होती है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया जा रहा है कि वे अंतिम प्रकाशन के पश्चात सेवा निर्वाचकों को पृथक करके राज्य में सेवा निर्वाचकों की सूची को सेवा मुख्यालयों में भेजें ताकि उनसे सूचना प्राप्त की जा सके। आपसे अनुरोध है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचना उपलब्ध करवाने के लिए, जब भी उनके द्वारा अनुरोध किया जाए, आवश्यक निदेश जारी करें।

(नरेन्द्र ना. बुटोलिया)
सचिव

सेवा कार्मिक द्वारा घोषणा पत्र
(फार्म 2 या 2क, यथा मामला, में कथन के साथ संलग्न किया जाएगा)

मैं, ...(बड़े अक्षरों में नाम) अपने मूल स्थान, जहां का मैं सामान्य रूप से निवासी होता यदि मै सेवा अर्हता धारक न होता, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग में स्वयं को और *****अपनी पत्नी को सेवा मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाने के लिए अपने रिकार्ड कार्यालय/कमांडेट के माध्यम से आवेदन कर रहा हूँ और मैं चाहता हूं कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में मेरा मूल निवास आता है, उसमें जब कभी भी निर्वाचन आयोजित किए जाएं तो मुझे निर्वाचन के समय डाक मत पत्र/परोक्षी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए।

मैं, इसके द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं और *****मेरी पत्नी ने किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के सामान्य भाग में सामान्य निर्वाचक/प्रवासी निर्वाचक के रूप में *****हमने/मैंने न तो पहले से पंजीकरण करवाया हुआ है और न ही इस तरह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया है।

इसके अतिरिक्त, मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं उस विधि से परिचित हूँ जिसके अनुसार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में या भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत होने पर प्रतिबन्ध है और यदि मेरा या *****मेरी पत्नी का नाम अलग–अलग स्थानों पर दिखाई पड़ता है तो मेरे मूल स्थान, जिसके लिए मैंने संलग्न कथन दिया है, की निर्वाचक नामावली के अंतिम भाग को छोड़कर, अन्य सभी स्थानों से हटा दिया जाए।

सेवाकर्मी के हस्ताक्षर

स्थान : .... पदनाम ....

दिनांक : ....

---

* यदि पत्नी का नाम फार्म **2** या **2**क, यथास्थिति, में शामिल नहीं है तो उसे हटा दें।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

प्ररूप 2

(नियम 7 देखिए)

सशस्त्र बलों के सदस्य द्वारा मामूली निवास–स्थान के बारे में कथन

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि सशस्त्र बलों में मेरी सेवा न होती तो मैं –

गृह सं. ....

गली/मोहल्ला ....

परिक्षेत्र ....

नगर/ग्राम....................

डाकघर ....

पुलिस थाना ....

तहसील/तालुका ....

जिला ....

राज्य ....

मेरा पूरा नाम ....

सेवा सं. ....पंक्ति ....

सेवा/कोर/रेजिमेंट ....

अभिलेख कार्यालय का नाम और पता ....

पिछले जन्म दिन पर आयु ....वर्ष ....

*मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी .... जिसकी आयु ....वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवासी है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास–स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख ....   हस्ताक्षर ....

अभिलेख कार्यालय	सत्यापित किया और ठीक पाया गया
फोलियो सं.	(हस्ताक्षर) ....
स्थान	(पदाभिधान)....................
तारीख	अभिलेख भारसाधक आफिसर....................

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन ....201........को प्राप्त हुआ
....सभा निर्वाचन–क्षेत्र (सं. ....) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं. ....पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

तारीख ....20..........

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

*यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

प्ररूप 2क

(नियम 7 देखिए)

राज्य के सशक्त पुलिस बल के ऐसे सदस्य द्वारा, जो उस राज्य के बाहर सेवा कर रहा है मामूली निवास–स्थान के बारे में कथन ..

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और नीचे वर्णित सशक्त पुलिस बल में यदि मेरी सेवा राज्य के बाहर न होती तो मैं–

गृह सं. ....

गली/मोहल्ला..

परिक्षेत्र...

नगर/ग्राम...

डाकघर..

पुलिस थाना..

तहसील/तालुक..

जिला...

राज्य...

में मामूली तौर से निवासी होता।

मेरा पूरा नाम..

बक्सुआ सं. ....पंक्ति...

सशक्त पुलिस बल का नाम...

कमांडेट के कार्यालय का नाम और पता...

पिछले जन्म दिन पर आयु...वर्ष

* मैं यह अतिरिक्त घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी...जिसकी आयु................वर्ष है मेरे साथ, मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास–स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

तारीख.......................20.............

....

(हस्ताक्षर)

lR;kfir fd;k vkj Bhd ik;k x;kA

dekMV dk dk;kZy;-..

फोलियो सं. .... (हस्ताक्षर)..

स्थान..................... (पदाभिधान)..

तारीख................................ कमांडेट

¼fuokZpu dk;kZy; e mi;kx d fy,½

कथन.....................200................को प्राप्त हुआ.......................सभा निर्वाचन–क्षेत्र (सं..................) के लिए निर्वाचक नामावली में सेवा नियोजित मतदाता भाग क्रम सं...पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

तारीख.........................20.......... ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960

प्ररूप 3

(नियम 7 देखिए)

भारत के बाहर पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित व्यक्ति द्वारा मामूली निवास–स्थान के बारे में कथन

पूरा नाम..

पिता/माता/पति का नाम ....

आयु ....वर्ष

भारत के बाहर धारित पद का वर्णन...

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैं भारत का नागरिक हूं और यदि मैं ऊपर वर्णित पद पर भारत सरकार के अधीन नियोजित न होता तो मैं (पूरा डाक पता) पर मामूली तौर से निवासी होता।

....

....

इसके अतिरिक्त मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरी पत्नी (नाम) ....जिसकी आयु .... वर्ष है मेरे साथ मामूली तौर से निवास करती है और वह भारत की नागरिक है।

मामूली निवास–स्थान के बारे में मैंने जो कोई कथन इससे पूर्व किया है वह एतद्द्वारा रद्द हो जाता है।

स्थान .... हस्ताक्षर ....

तारीख ....

सत्यापित

हस्ताक्षर ....

कार्यालय प्रधान का पदनाम ....

स्थान ....

तारीख ....

(निर्वाचन कार्यालय में उपयोग के लिए)

कथन, 20 ....को प्राप्त हुआ।

.... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में पंजीकृत।

...................................क्रम संख्या पर सेवा मतदाता की पार्ट संख्या। (सं. ....)

तारीख ....

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पता

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निर्वाचन कार्यालय भवन, डी.सी. कार्यालय के निकट, पोर्ट ब्लेयर-**744107**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना, ए.पी. सचिवालय, सी-ब्लॉक, **5**वां तल, हैदराबाद-**500022**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, अरुणाचल प्रदेश, निर्वाचन भवन, ईटानगर-**791111**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, असम, ब्लॉक-**1**, असम सिविल सचिवालय, दिसपुर कैपिटल कॉम्प्लेक्स गुवाहटी-**781006**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार, (निर्वाचन विभाग), **7**, मेंगाला रोड, पटना-**800015**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चंडीगढ़, चतुर्थ तल, संघ शासित क्षेत्र सचिवालय, सेक्टर-**9**, चंडीगढ़-**160017**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन, इंद्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर-**492001**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दादरा और नागर हवेली, दादरा और नागर हवेली प्रशासन, संघ शासित क्षेत्र, सिलवासा-**396230**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दमन और दीव, सचिवालय, दमन और दीव, यू.टी. प्रशासन, मोती दमन-**396220**
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली, ओल्ड सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेज बिल्डिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली-**110006**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गोवा, पुराना प्रशासन कार्यालय, इन्स्टीट्यूट ऑफ सायकियाट्रिक एण्ड ह्यूमन बिहेवियर अतिन्हो, पणजी-**403001**	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात, **7**, सरदार भवन, द्वितीय तल, सचिवालय, गांधी नगर-**382010**

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा, कमरा सं. 48, 6वां तल, हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़-160017	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश, ब्लॉक सं.-38, एसडीए कॉम्प्लेक्स, कासुमपटी, शिमला-171009	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जम्मू-कश्मीर, द्वितीय तल, विकास भवन, रेल रोड कॉम्प्लेक्स, जम्मू-180012
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, झारखण्ड, केबिनेट (निर्वाचन विभाग), सेक्टर-2, गायत्री मंदिर के पास एच.ई.सी. धुर्वा, रांची-833404	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक, ओल्ड के.जी.आई.डी. बिल्डिंग एनेक्सी, डॉ. अम्बेडकर वीडु, बंगलौर-560001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, केरल, निर्वाचन विभाग, IIIवां तल, विधायी परिसर, विकास भवन, तिरुअनन्तपुरम-695007
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, कावारत्ती-682555	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश निर्वाचन सदन, 17, क्षेत्रीय पहाड़ियां, जेल रोड, भोपाल-462001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, महाराष्ट्र, कमरा सं. 525-527, 5वां तल, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुम्बई-400032
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मणिपुर, इम्फाल-795001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मेघालय, मेघालय सचिवालय, मेन बिल्डिंग, शिलांग-793001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मिजोरम, एजवाल-796001
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, नागालैण्ड, डी-ब्लॉक, कोहिमा-797001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, ओडिशा, भाग-V, भुवनेश्वर-751001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पुडुचेरी, नं. 64 नेडारजापायेर संत, पुडुचेरी-605101
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब, एम.सी.ओ. नं. 29-30, सेक्टर-17ई, चंडीगढ़-160001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, कमरा नं. 120, वेस्ट नॉर्थ ब्लॉक, सचिवालय, जयपुर-302001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सिक्किम, निर्वाचन विभाग, तिब्बत रोड, गंगटोक-737101
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तमिलनाडु, पब्लिक (निर्वाचन-III) विभाग, संत जॉर्ज किला, चेन्नई-600009	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, त्रिपुरा, सिविल सचिवालय कम्पाउन्ड, डाकघर, अगरतला-799001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, सचिवालय कॉम्प्लेक्स, 2, सुभाष रोड, देहरादून-248001
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, कमरा नं. 415,चौथा तल, विकास भवन, जनपथ मार्किट, हज़रत गंज, लखनऊ-226001	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम बंगाल, बालमेर लाउरी एण्ड कॉरपोरेशन लिमिटेड की बिल्डिंग में उपभवन कार्यालय, दूसरा एवं तीसरा तल,	

	21, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-**700001**	